

भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी बैंक विभाग
केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई

RESERVE BANK OF INDIA URBAN BANKS DEPARTMENT CENTRAL OFFICE, BOMBAY

लाइसेंस सं. यूबीडी. डीएल-599 पी.

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ण) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि खत्री को-ऑपरेटिव

उर्बन बैंक लि., नयी दिल्ली

को एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोवार प्रारंभ करने और इसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

(क) बैंक के प्रबन्धन क्षेत्र केवल

तक सीमित होगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

दिनांक : 14 अक्टूबर 1986
22 आश्विन 1908 शक

पी.बी.माथुर
संयुक्त / सहाय्य मुख्य अधिकारी

LICENCE No. UBD. DL 599 P

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22 (1) read with Section 56 (o) of the Banking Regulation Act, 1949, The

Khattri Co-operative Urban Bank Ltd., New Delhi

is hereby granted a licence to ~~commence and~~ carry on banking business, subject to the following conditions :

(a) ~~The area of operation of the bank shall be confined only to the~~

(b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the ~~day on which it commences business~~ / date following the receipt thereof.

14 October 1986
22 Asvina 1908 (S)

Dated :

(P.B.Mathur)
Joint / Deputy Chief Officer

